पृ०-संख्या-4 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 जनवरी, 2020

पौष 20, 1941 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज विभाग अनुभाग–3

संख्या 2893/33-3-2019-154-2014टी०सी०

लखनऊ, 10 जनवरी, 2020

### अधिसूचना

प०आ०-22

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2000) की धारा 6 क, 7, 17 और 13क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल-

(क) अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित राज्य के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधीन आने वाले क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से कम प्रमाप के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के प्रमाप के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों, जिसके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हो, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रतिषिद्ध करती हैं।

(ख) अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित राज्य के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधीन आने वाले क्षेत्रों में एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, ग्लासों, प्लेटों, चम्मचों, टम्बलरों इत्यादि के उपयोग, विनिर्माण, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, दिनांक 15 अगस्त, 2018 से प्रतिषिद्ध करती हैं।

(ग) अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित राज्य के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधीन आने वाले क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक, कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 से प्रतिषिद्ध करती हैं।

(घ) अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रदत्त करती हैं-

(एक) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और परगना मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

(दो) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समस्त पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियंता और वैज्ञानिक सहायक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।

(तीन) निदेशक, पर्यावरण, उप निदेशक पर्यावरण और सहायक निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश।

(चार) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(पांच) समस्त उप/सहायक नाप और तौल अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(छः) समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(सात) समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उत्तर प्रदेश

(आठ) समस्त पर्यटन अधिकारी और सहायक पर्यटन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(नौ) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(दस) समस्त खाद्य एवं सुरक्षा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियंता और उससे ऊपर के समस्त अधिकारीगण।

(ख) अपराधों का शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट है:-

| क्रमांक (क) | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 100 ग्राम तक | 1,000 |
| 2 | 101 ग्राम-500 ग्राम | 2,000 |
| 3 | 501 ग्राम-1 किलोग्राम | 5,000 |
| 4 | 1 किलोग्राम-5 किलोग्राम | 10,000 |
| 5 | 5 किलोग्राम से अधिक | 25,000 |
| ख | किसी सरकारी/सार्वजनिक संस्था/प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन स्टॉलों आदि द्वारा परिसरों के भीतर और सड़कों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना। | [illegible] |
| ग | व्यक्तियों द्वारा किसी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन स्टॉलों आदि से और सड़कों, नालों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना। | |

(ग) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पूर्वोक्त अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कार्य प्रदान करती है।

(घ) यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिग्रहीत सामग्री का निस्तारण [illegible]

2. एतद्द्वारा यथा संशोधित के सिवाय यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

अनीता सिंह,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2893/XXXIII-3-2019-154-2014-TC, dated January 10, 2020 for general information.

No. 2893/XXXIII-3-2019-154-2014-TC

*Dated Lucknow, January 10, 2020*

In exercise of the powers under sections 6A, 7, 12, and 13 of the Uttar Pradesh Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of use and disposal) Act, 2000 (U.P. Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to,-

(a) prohibit in areas falling in a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat of the State constituted under Article 243O the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of plastic carry bags of thickness less than 50 microns and disposable plastic carry bags of thickness 50 microns or above not having the name and registration number of manufacturer with effect from the date of the publication of this notification in the Gazette.

(b) prohibit in areas falling in a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat of the State constituted under Article 243O, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of cups, glasses, plates, spoons, tumblers, etc made up of plastic or thermocol disposable after one time use with effect from August 15, 2018.

(c) prohibit in areas falling in a Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and Zila Panchayat of the State constituted under Article 243O, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of all kinds of disposable plastic carry bags with effect from October, 17, 2019.

(d) confer such powers and duties of Local Authority as provided in the Act on the following officers in the areas of their jurisdiction.

(1) All the District Magistrates, Additional District Magistrates and sub-divisional Magistrates in Uttar Pradesh.

(2) Member Secretary, State Pollution Control Board, All the Environmental Engineer, Scientific Officers, Assistant Environmental Engineer, Assistant Scientific Officers, Junior Engineer, and Scientific Assistant of State Pollution Control Board in Uttar Pradesh.

(3) Director, Environment, Deputy Director Environment, and Assistant Director Environment in Uttar Pradesh.

(4) All the Chief Medical Officers and Medical Officers in Uttar Pradesh.

(5) All the Deputy/Assistant goods and Services Tax Officers in Uttar Pradesh.

(6) All the Divisional Forest Officers, Sub-Divisional Officers and Range Officers in Uttar Pradesh.

(7) All the Tehsildars and Naib Tehsildars in Uttar Pradesh.

(8) All the Tourism Officers and Assistant Tourism Officers in Uttar Pradesh.

(9) All the District Supply Officers and Food Inspectors in Uttar Pradesh.

(10) All the Food and Safety Inspectors of Uttar Pradesh.

(11) All the Officers of rank Assistant Manager, Junior Engineer and above in Industrial Development Authorities in Uttar Pradesh.

(e) specify as under, composition fee to be realized by the officers compounding the offences :-

| Sr No. (A) | Quantity of prohibited variety of disposable polythene carry-bags, plastic and thermocol items | Amount in Rupees |
|---|---|---|
| 1 | upto 100 gms | 1,000 |
| 2 | 101 gms-500 gms | 2,000 |
| 3 | 501 gms-1 kg | 5,000 |
| 4 | 1 kg-5 kg | 10,000 |

PRAGATI

Scan

9/9/19



| | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 More than 5 kg | 25,000 |
| (B) | (B) Littering of plastic waste by any institution/commercial institution/ commercial establishment/educational institutions offices/hotels/shops/restaurants/sweetshops/dhabas/ industrial establishments/banquet halls etc. within premises and on roads, streets, drains, rivers, lakes, ponds, forest areas, public parks, all public places etc. | 25,000 |
| (C) | Littering of plastic waste by individuals in the premises of any private or commercial establishments like educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweet shops, dhabas, industrial establishments, banquet halls etc. and on roads, streets, rivers, lakes, public parks, forests area and all public places etc. | |

(f) confer such powers and duties of local Authority as provided in the aforesaid Act, on the Industrial Development Authority, constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

(g) specify that the material seized under the provisions of the said Act shall be disposed of in an environment friendly manner through recyclers or co-processing units.

2. Save as provided here inbefore this Notification shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

By order,
ANITA SINGH,
*Pramukh Sachiv.*

[illegible]